

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 17 जून, 2011

विषय:- नगर विकास विभाग द्वारा अवस्थापना सुविधाओं-पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगरीय परिवहन तथा विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 21 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध यथा- जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट, कूड़ा प्रबन्धन, जल निकासी, सड़क, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, पर्यावरण आदि के स्तर में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 630 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषदें तथा 426 नगर पंचायतें हैं।

2. नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय अवस्थापना के सुविधाओं के विकास एवं पर्यावरणीय सुधार के दृष्टिगत केन्द्र पुरोनिधानित/वाह्य सहायतित तथा राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की परियोजना-जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगरीय परिवहन तथा नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजनाओं का विस्तार शहरी क्षेत्र तथा इसकी सीमा के आसपास होने के कारण प्रायः शहरी/निकाय क्षेत्र की सीमाक्षेत्र पर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि की आवश्यकता होती है। उक्त भूमि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अधिग्रहण की दशा में राजस्व विभाग द्वारा नगर विकास विभाग को वाणिज्यिक श्रेणी में मानते हुए बाजार दर पर धनराशि की माँग की जाती है। परियोजनाओं में भूमि की लागत सम्मिलित न होने के कारण प्रायः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है और जिसके कारण न केवल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है अपितु शहरी अवस्थापना सुविधाओं का ससमय विकास न होने से उन पर दबाव बढ़ रहा है।

3. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत

विभाग की श्रेणी में रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित/संचालित अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं— पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगरीय परिवहन, तथा विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु आगामी 5 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. निदेशक, सी एण्ड डी एस, उ0प्र0 जल निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी, लखनऊ।
12. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जीमल अख्तर)।
13. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
14. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।